न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी— श्री पुनीत कुमार गेलड़ा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 —	तारीख दायर	तारीख फैसला
45/2017/वाद पत्र	05.06.2017	02.01.2024

उनवान

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री मंगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. श्री भूरालाल पुत्र श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. श्री लालाराम पुत्र श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. श्री रामधन पुत्र श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. लाड पुत्री श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. श्री जगदीश पुत्र श्री लादू जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. श्री हीरा पुत्र श्री लादू जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा— मृतक

   2/1 श्रीमती सीता पत्नी हीरा जाति गीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

   2/2 श्री रामकिशन पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

   2/3 श्री जयसिंह पुत्र हीरा जाति भीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

   2/4 श्री शिवराज पुत्र हीरा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कादीसहना

   2/5 श्रीमती लीलादेवी पत्नी बन्ना पुत्र ही हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी डाबला चांदा

   2/6 श्रीमती मनभर पत्नी नाना पुत्री हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल निवासी आमली बारेठ

   2/7 श्रीमती रतनी पत्नी गोकल पुत्री हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल निवासी आमली बारेठ
3. श्री छोटू पुत्र श्री लादू जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. श्री घीसा पुत्र श्री लादू जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (मृतक)

   4/1 श्रीमती गोरू देवी पत्नी घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

   4/2 श्री सांवरा पुत्र घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

   4/3 श्री गणेश पुत्र घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

   4/4 आरामी पुत्री घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

5. शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6. तहसीलदार साहब, लेण्ड होल्डर तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाडा

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् कब्जेयाबी एवं दिलाये जाने हर्जाना
अतंर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री अक्षयराज रेबारी — अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

उनवानी मामले में वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी आराजी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि–

ग्राम कादीसहना पटवार क्षेत्र कादीसहना भू–अभिलेख निरीक्षक आमलीकलां तह० शाहपुरा में वादीगणो के खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि आराजी सं. 734 रकबा 0.59 है., 741 रकबा 0.82 है., 742 रकबा 0.10 है., 743/3761 रकबा 0.13 है., 876 रकबा 0.24 है., 952 रकबा 0.27 है., 953 रकबा 0.69 है., 2951 रकबा 0.21 है., 2952 रकबा 0.09 है., 2958 रकबा 0.37 है. किता 10 रकबा 3.51 है. स्थित है। वाद पत्र के पैरा स. 1 में वर्णित उक्त कृषि आराजीयात मे से आराजी सं. 741, 742, 743/3761 रकबा कमशः 0.82, 0.10, 0.13 हैक्टर की वादीगण के द्वारा मान्नीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्थरगढ़ी करने का एक प्रकरण सं. 482/2016 पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 6.02.2017 को वादीगण के पक्ष में आदेश करते हुए पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया गया। उक्त मान्नीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक ने मय हल्का पटवारी के सम्बधित पक्षकारों को सूचना देकर दिनांक 20.05.2017 को मौके पर जाकर पत्थरगढी कर मौका पर्चा पत्थरगढ़ी का तैयार किया गया जो वाद पत्र के साथ संलग्न है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 20.05.2017 को प्रकरण सं. 482/2016 की पालना में मौके पर पत्थरगढी कर पर्चा मौका तैयार कर दिया जिसमें आराजी सं. 742 के रकबे मे से 0.10 हैक्टर एवं आराजी सं. 743/3761 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी सं. 741 के कुल रकबे में से 0.06 हैक्टर यानि की कुल तीनो आराजीयात के रकबे में से 0.29 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने अवैध रूप से नाजायज अतिकमण कर रखा हैं जिसका अंकन भू.अभिलेख निरीक्षक ने अपने मौका पर्चा पत्थरगढ़ी दिनांक 20.05.2017 में किया हैं। वादीगणो के खाते की कृषि आराजी सं. 742 के रकबे मे से 0.10 हैक्टर एवं आराजी सं. 743/3761 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी सं. 741 के कुल रकबे मे से 0.06 हैक्टर यानि की कुल तीनो आराजीयात के रकबे मे से 0.29 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने सामलाती रूप से करीब एक वर्ष पूर्व अवैध अतिक्रमण जबरन एवं ताकत के बल करते हुए अपने मवेशियों को उक्त आराजी में चरने के लिए छोड़ दिया तथा प्रतिवादी को मना करने पर अमादा फौजदारी हुऐ एवं वादीगण की पैरा मे वर्णित आराजीयात को हांक कर उनकी आराजी मे मिला दिया एवं जबरन कब्जा कर लिया इसलिए वादीगणों ने अपनी आराजी की पुख्ता सीमा सम्बधी जानकारी करने के लिए न्यायालय श्रीमान् के यहा पत्थरगढ़ी करने का वाद प्रस्तुत किया तथा मौके पर्चे अनुसार वादीगणों की आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने सामलाती रूप से अतिक्रमण कर रखा हैं तथा वर्तमान में भी उपरोक्त आराजी के कुल रकबे 0.29 हेक्टर को प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 ने जबरन एवं ताकत के बल पर ट्रैक्टर से हंका दिया। वादी को उपरोक्त आराजीयात में हरे वृक्ष एवं थोर लगे हुए हैं उसको भी प्रतिवादी सं. 1 आये दिन काटने का प्रयास करता रहता है व वादी को अपने खेत का उपयोग उपभोग करने मे प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 बाधा कारित करते हैं जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 के द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने बाबत् वादी ने कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी से अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाकर अतिकमण निरन्तर रखा एवं आये दिन प्रतिवादीगण अपने मवेशीयों को वादीगणो की आराजी में प्रवेश करा देते है। तथा भु– अभिलेख निरीक्षक के द्वारा पर्चा तैयार किय उन्होने भी अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया किन्तु उनको भी अतिक्रमण हटाने हेतु साफ मना कर दिया तथा पर्चा मौके पर भी प्रतिवादी सं. 2 के अलावा अन्य प्रतिवादीगणो ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दिनांक 25.05.2017 को वादीगणो ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को वादीगणो के खाते आराजी सं. 742 के रकबे मे से 0.10 हैक्टर एवं आराजी सं. 743/3761 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी सं. 741 के कुल रकबे मे से 0.06 हैक्टर यानि की कुल तीनो आराजीयात के रकबे में से 0.29 हैक्टर कृषि भूमि से मौके से अतिक्रमण हटाकर कब्जा वादीगणो को सम्भलाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने धमकी दी और अतिक्रमण तो कर लिया हैं तथा अतिक्रमण को निरन्तर रखेगें तथा वादीगणो को यह कहा कि तुम हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते और यह भी कहा कि जो पेड़ कृषि भूमि पर लगे हैं उन्हें भी हम काट लेगें। वादी के खाते की आराजी सं. 742 के रकबे मे से 0.10 हैक्टर एवं आराजी सं. 743/3761 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी सं. 741 के कुल रकबे मे से 0.06 हैक्टर यानि की कुल तीनो आराजीयात के रकबे मे से 0.29 हैक्टर पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 ने नाजायज अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रखा है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के द्वारा निरन्तर अपने मवेशीयो को जबरन प्रवेश करा घास चराते हैं तथा कार्तिक माह में वादी की आराजी पर एक फसल काश्त कर ली है। जिससे की वादीगणो को हानि उठानी पड़ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

वादीगण भविष्य में होने वाली आय की हानि बतौर हर्जाना वादी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 से 10,000 रू० अक्षरे दस हजार रू० प्रति वर्ष प्राप्त करना चाहता है, जिसे वादीगण को बतौर हर्जाना प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 से दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादी सं. 5 शाखा प्रबंधक महोदय के यहा वादी लालाराम के हिस्से की आराजी रहन दर्ज होने के कारण उनको आवश्यक पक्षकार बनाये गये है इनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है एवं प्रतिवादी सं. 6 श्रीमान तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वादी को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध वाद हेतु दिनांक 25.05.2017 से पैदा होकर आज तक निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित कृषि आराजी मे से आराजी सं. 742 के रकबे मे से 0.10 हैक्टर एवं आराजी सं. 743/3761 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी सं. 741 के कुल रकबे मे से 0.06 हैक्टर यानि की कुल तीनो आराजीयात के रकबे मे से 0.29 हैक्टर पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 ने नाजायज एवं अवैध अतिक्रमण कर रखा हैं कतिपय अतिक्रमी को बेदखलकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने की डिकी सादिर फरमायी जावें एवं पालना प्रतिवादी सं. 6 से करायी जावें। वादग्रस्त आराजीयात आराजी सं. 742 के रकबे मे से 0.10 हैक्टर एवं आराजी सं. 743/3761 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी सं. 741 के कुल रकबे मे से 0.06 हैक्टर यानि की कुल तीनो आराजीयात के रकबे मे से 0.29 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का अवैध कब्जा होने से वाद दायरी से बतौर हर्जा 10,000 रू० अक्षरे दस हजार रू० वार्षिक बादी को प्रतिवादी से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 से दिलवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 12.07.2017 को प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 03 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश वर्मा ने अण्डर टेकिंग ली। एवं प्रतिवादीगण सं. 04 लगायत 06 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त होने बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 07.12.2018 को प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 03 की ओर से अभिभाषक द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब दावा पेशी किया गया। दिनांक 14.03.2018 को प्रकरण में तनकियात कायम की गयी। दिनांक 10.09.2018 को वादी रतनलाल का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। दिनांक 17.06.2019 को प्रतिवादी सं० 04 की मृत्यु हो जाने से अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा.दी. के प्रस्तुत किया गया। दिनांक 08.07.2019 को प्रतिवादी सं. 04 घीसा के कायम मुकाम क्रमांक 1 लगायत 3 बावजदू सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। क्रमांक 4 का सम्मन अदम तामिल लौटा जिसकी राजिस्टर्ड ए०डी० से तामिल कराये जाने हेतु अभिभाषक वादीगण द्वारा निवेदन किया गया। दिनांक 24.07.2019 को प्रतिवादीगण सं. 04 के कायम मुकमा क्रमांक 4 की रजिस्टर्ड ए०डी० रसीद बाद तामिल प्राप्त हुई किन्तु उपस्थित नहीं है। दिनांक 25.11.2019 को प्रतिवादीगण सं. 04 के कायम मुकमा क्रमांक 4 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश वर्मा द्वारा अण्डर टेंकिग ली गयी एवं प्रार्थीगण गौरी, गणेश, सांवरा की ओर से आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 04.12.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 पर पक्षकारान को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर एक तरफा से दो तरफा के आदेश दिये गये। प्रकरण प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा.दी. के जवाब/बहस के नियत किया गया। दिनांक 07.09.2020 को अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रतिवादी हीरा की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियत 4 जा.दी. के प्रस्तुत किया गया दिनांक 19.10.2020 को प्रतिवादी सं0 02 के कायम मुकमा क्रमांक 1 लगायत 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त किन्तु उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। कायम मुकाम क्रमांक 6, 7 के सम्मन अदम तामिल लौटे। दिनांक 16.03.2021 को प्रतिवादी सं. 02 हीरा के कायम मुकाम क्रमांक 6, 7 की तलबी जरिय रजिस्टर्ड ए.डी. से कराये जाने हेतु अभिभाषक वादीगण द्वारा निवेदन किया गया। दिनांक 28.04.2021 को प्रतिवादी सं. 02 हीरा के कायम मुकाम क्रमांक 6, 7 की रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद बाद तामिल प्राप्त किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरूद्ध दिनांक 24.08.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी एवं प्रकरण प्रतिवादी सं. 4 के कायम मुकाम क्रमांक 4 की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक श्री राजेश वर्मा को अंतिम अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 31.08.2021 को प्रकरण सहवन से प्रतिवादी सं0 4 के कायम मुकाम 4 की तलबी के नियत कर दिया गया। दिनांक 16.11.2022 को प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण प्रतिवादी सं0 4 के कायम मुकाम 4 की तलबी के स्थान पर उनकी ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत करने नियत किया गया। उक्त प्रतिवादी सं. 04 के कायम मुकाम क्रमांक 4 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश वर्मा द्वारा दिनांक 25.11.2019 को अण्डर टेकिंग ली गयी

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

किन्तु दिनांक 16.11.2022 तक अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किय जाने से कायम मुकाम क्रमांक 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं प्रकरण संशोधन उनवान प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 12.12.2022 को प्रकरण का अवलोकन कर प्रतिवादी सं. 02 हीरा के कायम मुकाम के विरूद्ध भी पूर्व में एकतरफा कार्यवाही होने से उन्हें भी रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये एवं अभिभाषक वादीगण द्वारा संशोधन उनवान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पी0डल्यू0 1 से जिरह के नियत किया गया। दिनांक 03.10.2023 को प्रतिवादीगण 1, 3 को एवं उनके अधिवक्ता को विधिवत आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये। प्रकरण अंतिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 02.01.2023 को प्रकरण में अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादीगण ने बताया कि वादीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय में पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो वादीगण के पक्ष में निर्णित होकर वादीगण की आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित किया गया। न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में भू0अ0निरीक्षक द्वारा मौके पर पत्थरगढी की जाकर मौका पर्चा प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादीगण के खाते की आराजी सं. 742 के रकबे मे से 0.10 हैक्टर एवं आराजी सं. 743/3761 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी सं. 741 के कुल रकबे में से 0.06 हैक्टर यानि की कुल तीनो आराजीयात के रकबे में से 0.29 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने अवैध रूप से नाजायज अतिकमण पाया गया। जमाबंदी अनुसार उक्त आराजियात वादीगण के खातेदारी में होकर वादीगण उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये नाजायज कब्जे को लेना चाहते है। जिसका वादीगण को कानूनी अधिकार है। प्रतिवादीगण द्वारा किये जाने नाजायज कब्जे की तस्दीक पत्थरगढी मौका पर्चा से हो रही है। अतः वादीगण की भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करा कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श 1 ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता सं. 533 आराजी सं. 734 रकबा 0.59 है., 741 रकबा 0.82 है., 742 रकबा 0.10 है., 743/3761 रकबा 0.13 है., 876 रकबा 0.24 है., 952 रकबा 0.27 है., 953 रकबा 0.69 है., 2951 रकबा 0.21 है., 2952 रकबा 0.09 है., 2958 रकबा 0.37 है. किता 10 रकबा 3.51 है. वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 3 मौका पर्चा पत्थरगढी दिनांक 20.05.2017 अनुसार अराजी नम्बर 742 रकबा 0.10 है., 743/3761 रकबा 0.13 है., 741 में से 0.06 है. कुल 0.29 है. पर पड़ौसी खातेदार हीरा पिता लादू वगैराह का कब्जा बताया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित अराजी नम्बर 742 रकबा 0.10 है., 743/3761 रकबा 0.13 है., 741 में से 0.06 है. कुल 0.29 है. का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 4 से कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री मंगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. श्री भूरालाल पुत्र श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. श्री लालाराम पुत्र श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. श्री रामधन पुत्र श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. लाड पुत्री श्री मगना जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. श्री जगदीश पुत्र श्री लादू जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. श्री हीरा पुत्र श्री लादू जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा– मृतक

2/1 श्रीमती सीता पत्नी हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2/2 श्री रामकिशन पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

2/3 श्री जयसिंह पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2/4 श्री शिवराज पुत्र हीरा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कादीसहना

2/5 श्रीमती लीलादेवी पत्नी बन्ना पुत्र ही हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी डाबला चांदा

2/6 श्रीमती मनभर पत्नी नाना पुत्री हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल निवासी आमली बारेठ

2/7 श्रीमती रतनी पत्नी गोकल पुत्री हीरा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल निवासी आमली बारेठ

3. श्री छोटू पुत्र श्री लादू जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. श्री घीसा पुत्र श्री लादू जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (मृतक)

4/1 श्रीमती गोरू देवी पत्नी घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

4/2 श्री सांवरा पुत्र घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

4/3 श्री गणेश पुत्र घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

4/4 आरामी पुत्री घीसा जाति मीणा निवासी कादीसहना तह० शाहपुरा जिला भीलवाडा

5. शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6. तहसीलदार साहब, लेण्ड होल्डर तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाडा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् कब्जेयाबी एवं दिलाये जाने हर्जाना अतंर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 45 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X.............................. मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित अराजी नम्बर 742 रकबा 0.10 है., 743/3761 रकबा 0.13 है., 741 में से 0.06 है. कुल 0.29 है. का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 4 से कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 02 माह 01 सन् 2024** को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा